न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 99/2024
वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

---

1. रणजीतराम 2. मंगतूराम पिसरान रामप्रताप जाति कुम्हार साकिनान शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1.विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी रूपराम जाति कुम्हार साकिन चक 34 एलएलडब्ल्यू (उमेवाला) तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) 2.संतोषदेवी पुत्री रामप्रताप पत्नी भूपराम जाति कुम्हार साकिन चक राधेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) 3.साहबराम 4.कानाराम पिसरान जयमलराम जाति कुम्हार साकिनान हांसलिया तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 5.तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–
1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण
2–जिनेन्द्रकुमार बाथम वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4

निर्णय

दिनांक 24.5.2024

यह पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के ब्यक्ति है वादपत्र की सही एवं सपष्ट स्थिति समझने के लिए वादीगण ने अपने दावा मे अपनी वंशावली दर्ज की है वादीगण के दादा सुरजाराम पुत्र शोभाराम के नाम तहसील संगरिया के चक नम्बर 20 ए.एम.पी. खाता संख्या 77/46 में 0.3795 है0 व खाता संख्या 76/70 में 0.506 है0 तथा वादीगण के पिता रामप्रताप पुत्र सुरजाराम के नाम से चक नम्बर 13 पी.टी.पी. खाता संख्या 76/66 में 0.548 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्तमान में है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। वादीगण के दादा सुरजाराम व पिता रामप्रताप एवं एक बहिन रोशनीदेवी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज एवं विधिक वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ही है। दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित सम्पति वादीगण व प्रतिवादीगण की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहते अतः उन्होने अपना–अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। अब वादीगण दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित कुल भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम [illegible] मुश्तहक एवं दावेदार है इसी अमर की घोषणात्मक डिगरी वादीगण चाहते है, मुताबिक [illegible] वारिसान एवं घरू विभाजन वादीगण के कब्जा काश्त में चक नम्बर 20 ए.एम.पी. खाता 77/46 में 0.759 है0 व खाता संख्या 76/70 में 0.506 है0 तथा चक नम्बर 13 पी.टी.पी. खाता संख्या 76/66 में 0.548 है0 भूमि है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है, लेकिन भूमि राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम इन्द्राज नहीं होने से खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.30 16:11:36
Reason: SelfAttested

next---------2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पड़ रहा है। उक्त खातों से मृतक-रामप्रताप, सुरजाराम के नाम कलमजन करवा अपने नाम इन्द्राज कराने के वादीगण मुश्तहक एवं दावेदार है। वादीगण को घरू विभाजन में मिली भूमि राजस्व अभिलेख में उनके नाम नहीं होने से वादीगण बैंक लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है, तथा राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे है इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे वादीगण को दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित कुल भूमि में जायज वारिसान एवं जन्मजात हक तथा मुताबिक घरू विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख निश्चित की गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये वकील इकबालिया जबाब पेश किया तथा स्टेट की ओर से राज पेरोकार ने अपना जबाब पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादी ने प्रस्तुत दस्तावेज पूर्दश हेतु साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई। बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी ने कोई एतराज नहीं किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भूमि वादीगण के दादा व पिता के नाम दर्ज है तथा दादा व पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति दावा में पेश है भूमि विरास्तन है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक बनता है अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है मुताबिक अनुतौष क अनुसार वादीगण अपने दादा सुरजाराम व पिता रामप्रताप के नाम चक नम्बर 20 ए.एम.पी. खाता संख्या 77/46 में 0.3795 है0 व खाता संख्या 76/70 में 0.506 है0 तथा चक नम्बर 13 पी.टी.पी. खाता संख्या 76/66 में 0.548 है0 भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, इसी अनुसार उक्त चकों के उक्त खातों से मृतक खातेदार सुरजाराम पुत्र शोभाराम व रामप्रताप पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन कर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:36 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सीकरिया

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 99/2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

---

1. रणजीतराम 2. मंगतूराम पिसरान रामप्रताप जाति कुम्हार साकिनान शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1.विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी रूपराम जाति कुम्हार साकिन चक 34 एलएलडब्ल्यू (उमेवाला) तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) 2.संतोषदेवी पुत्री रामप्रताप पत्नी भूपराम जाति कुम्हार साकिन चक राधेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) 3.साहबराम 4.कानाराम पिसरान जयमलराम जाति कुम्हार साकिनान हांसलिया तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 5.तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

दावा बाबत इस्तकरार हक।

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजसी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई जिनेन्द्रकुमार बाथम जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादीगण अपने दादा सुरजाराम व पिता रामप्रताप के नाम चक नम्बर 20 ए.एम.पी. खाता संख्या 77/46 में 0.3795 है0 व खाता संख्या 76/70 में 0.506 है0 तथा चक नम्बर 13 पी. टी.पी. खाता संख्या 76/66 में 0.548 है0 भूमि के बहिब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, इसी अनुसार उक्त चकों के उक्त खातों से मृतक खातेदार सुरजाराम पुत्र शोभाराम व रामप्रताप पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन कर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। यदि रकबा बैंक के अधीन हो तो नो–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण कार्यवाही करे।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....X.....।खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.05.2024 को जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:36 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया